संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस प्रकाशनी

1. संसद का मानसून सत्र, 2025, जो सोमवार, 21 जुलाई, 2025 से आरंभ हुआ था, गुरूवार, 21 अगस्त, 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 32 दिनों की अवधि में 21 बैठकें हुईं।

2. सत्र के दौरान, लोक सभा में 14 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 12 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 15 विधेयक पारित किए गए। इसके अलावा, लोक सभा में एक विधेयक वापस लिया गया।

3. पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर 28 और 29 जुलाई को लोक सभा में तथा 29 और 30 जुलाई, 2025 को राज्य सभा में विशेष चर्चा हुई। लोक सभा में यह चर्चा 18 घंटे 41 मिनट तक चली, जिसमें 73 सदस्यों ने भाग लिया और माननीय प्रधान मंत्री ने इसका उत्तर दिया। राज्य सभा में यह चर्चा कुल 16 घंटे 25 मिनट तक चली, जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया और माननीय गृह मंत्री ने इसका उत्तर दिया।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(4) के तहत 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की और अवधि के लिए मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार का अनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प को दिनांक 30.07.2025 को लोक सभा में और दिनांक 05.08.2025 को राज्य सभा में स्वीकृत किया गया।

5. मणिपुर राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा; और वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुदान मांगों को लोक सभा में दिनांक 07.08.2025 को लिया गया। मांगों पर पूर्ण मतदान हुआ और संबंधित विनियोग विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित, विचारित और पारित किया गया। राज्य सभा में, मणिपुर राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा; और मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 पर चर्चा हुई और विधेयक दिनांक 11.08.2025 को लौटाया गया।

6. जुलाई, 2024 में बजट सत्र में सरकार ने घोषणा की थी कि आय-कर अधिनियम, 1961 की समयबद्ध व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि अधिनियम को संक्षिप्त, सुबोध, पठनीय और समझने में आसान बनाया जा सके। तदनुसार, आय-कर विधेयक, 2025 दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में पेश किया गया और इसे जांच के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया। रिपोर्ट दिनांक 21.07.2025 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे। प्रारूपण, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और क्रॉस-रेफरेंसिंग की प्रकृति में भी सुधार किए गए। इसलिए, सरकार द्वारा प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आय-कर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, आय-कर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 को

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया तथा राज्य सभा द्वारा इसे दिनांक 12.08.2025 को लौटाया गया।

7. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 भी पारित किया गया जिसका उद्देश्य खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल आंदोलन की नैतिकता और निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों पर आधारित नैतिक प्रथाओं का प्रावधान करना तथा खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों का एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से समाधान करना और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करना है।

8. ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना और विनियमित करना है; इस क्षेत्र के समन्वित नीति समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निरीक्षण के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करना है; किसी भी कंप्यूटर संसाधन, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को प्रतिबंधित करना है, विशेष रूप से जहां ऐसी गतिविधियां देश की सीमाओं के पार या विदेशी अधिकार क्षेत्र से संचालित होती हैं; ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं और कमजोर आबादी की रक्षा करना; डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना; सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना; वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना; सार्वजनिक हित में एक समान, राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करना; और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना है।

9. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पांच विधेयक अर्थात् (i) वहन-पत्र विधेयक, 2025, (ii) समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2025, (iii) तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025, (iv) वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2025 और (v) भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए।

10. दो विधेयक, अर्थात् (i) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025; और(ii) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025, क्रमशः व्यापार करने में आसानी और जनजीवन को सुकर बनाने के लिए लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए, जिन्हें लोक सभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया।

11. तीन विधेयक अर्थात (i) संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025; (ii) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025; और (iii) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को 20.08.2025 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया और दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा गया, जिनमें यह उपबंध है कि यदि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल कोई मंत्री तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद में शामिल कोई मंत्री ऐसे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमे 5 साल या

उससे अधिक की जेल हो सकती है तथा गिरफ्तार किए गए हैं और 30 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं, तो उन्हें हटाया दिया जाए, ताकि संवैधानिक नैतिकता और उन पर सौंपे गए लोगों के विश्वास को बहाल किया जा सके।

12. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री – '2047 तक विकसित भारत' के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा भी 18.08.2025 को लोक सभा में शुरू की गई थी, लेकिन सदन में लगातार व्यवधान के कारण चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

13. लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों, संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयकों, लोक सभा/राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

14. पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में लगातार व्यवधान देखा गया और इस प्रकार, लोक सभा की उत्पादकता लगभग 31% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 39% रही। लोक सभा में, इस सत्र के दौरान कुल उपलब्ध 120 घंटों में से केवल 37 घंटे तथा राज्य सभा में केवल 41 घंटे और 15 मिनट ही चर्चा हो सकी।

***

अनुबंध

18वीं लोक सभा के 5वें सत्र तथा राज्य सभा के 268वें सत्र (मानसून सत्र, 2025) के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
2. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
3. मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
4. मणिपुर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2025
5. आयकर (संख्याक 2) विधेयक, 2025
6. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
8. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
9. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025
10. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
11. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
12. संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025
13. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
14. ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

II. लोक सभा की प्रवर समिति को भेजे गए विधेयक

1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
2. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025

III. दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

1. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
2. संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

IV. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2025
2. वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2025
3. मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
4. मणिपुर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2025
5. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
6. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
7. आयकर (संख्याक 2) विधेयक, 2025
8. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025
9. भारतीय पत्तन विधेयक, 2025
10. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

11. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
12. ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

v. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए/लौटाए गए विधेयक

1. वहन-पत्र विधेयक, 2025
2. समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2025
3. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025
4. मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
5. मणिपुर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2025
6. वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2025
7. गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2025
8. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
9. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
10. आयकर विधेयक, 2025
11. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025
12. भारतीय पत्तन विधेयक, 2025
13. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
14. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
15. ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

vi. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. वहन-पत्र विधेयक, 2025
2. समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2025
3. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025
4. मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
5. मणिपुर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2025
6. वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2025
7. गोवा राज्य, सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2025
8. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
9. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
10. आयकर विधेयक, 2025
11. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025
12. भारतीय पत्तन विधेयक, 2025
13. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
14. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
15. ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

vii. लोक सभा में वापिस लिया गया विधेयक

1. आय-कर विधेयक, 2025, *प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।*

****